नम्बर / वर्ष 199 / 2012 अनवानी मन्जू बनाम गोपीराम

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए

22/5/25

पत्रावली पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 , सीपीसी पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

प्रार्थी / वादीया के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहरातें हुए निवेदन किया की अनवानी वाद न्यायालय में जेरकार है जिसमें आज की तारीख पेशी वास्ते बहस निर्धारित है प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 फोत हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रार्थना पत्र में अंकिता अनुसार ही है

वादीयागण औरत जात है तथा मजदुरी व ग्रहणी है खेती का काम में लगी रहती है तथा अनपढ ग्रामीण औरतजात है तथा काफी दिनों से तारीख पेशी पर भी नही आई थी तथा वादीया को गोपीराम के वारिसो को पक्षकार बनाने का ज्ञान नही था पिछल तारीख पेशी पर अदालत आई तक तब पक्षकार बनाने का ज्ञान हुआ वादीया की अज्ञानता के कारण पक्षकार बनाने में देरीना हुई जिसे माफ किया जाकर गोपीराम के स्थान पर उसके वारिसान को पक्षकार बनावे अतः प्रार्थीया /वादीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 3/अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वादीया स्वय के दिनांक 07.03.2025 को ब्यान हुए थे उससे पहले ही गापीराम की मृत्यू 2023 मं हो चुकी थी पेशी पर नही आने का कथन गलत तौर से अंकित किया गया है दावा अवैट हो चुका है वादीयागण ने देरीना के लिये दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश नही किया वादीयागण को गोपीराम के देहान्त होने का ज्ञान बहुत पूर्व से था गोपीराम के वारिसान को समय पर पक्षकार नही बनाये जाने के कारण वादीया का वाद अवेट हो चुका है प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर वादीया का वाद अवेट किया जाकर खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया प्रार्थी/वादीयागण ने प्रतिवादी संख्या 1 का देहान्त होना अंकित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाये जाने का पेश किया गया है।

वादीयागण का कथन है कि वह ग्रामीण अनपढ औरत है जिसे ज्ञान नही था इसलिये देरीना से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है स्वीकार योग्य नही है वादीयागण स्वय न्यायालय में दिनांक 07.03.2025 को उपस्थित आकर अपने वकील से सम्पर्क करने के उपरान्त न्यायालय में अपने ब्यान दर्ज करवाये गये है अर्थात वादीयागण का सम्पर्क अपने अधिवक्ता से रहा है

प्रतिवादी संख्या 1 गोपीराम का देहान्त वर्ष 2023 में ही हो चुका था अर्थात वादीया के न्यायालय में ब्यान दर्ज करवाने के समय प्रतिवादी संख्या 1 का देहान्त हो चुका था।

इसप्रकार वादीयागण का कथन स्वीकार योग्य नही कि उसे प्रतिवादी संख्या 1 के देहान्त होने का भली भाती ज्ञान होने के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया

वादीयागण के अधिवक्ता का दायित्व था कि वादीयागण जब न्यायालय में ब्यान के समय उपस्थित आई तब प्रकरण के सम्बध में पूर्ण जानकारी लेकर ही वाद में ब्यान करवाने चाहिये था

वादीयागण के द्वारा प्रार्थना पत्र देरीना से पेश किया गया है देरीना का कोई सन्तोषजनक कारण भी व्यक्त नही किया गया ना ही देरीना को माफ करने के लिये मियाद अधिनियम दफा 5 का प्रार्थना पत्र भी पेश नही किया गया है ना ही धारा 9 का अनुतोष चाहा गया है

प्रार्थीगण/वादीगण व प्रतिवादीगण [illegible] ही परिवार का सदस्य है प्रार्थीगण/वादीयागण का मुख्य अनुतोष भी प्रतिवादी संख्या 1 से है इसलिये यह नही माना जा सकता की गोपीराम प्रतिवादी संख्या 1 के देहान्त होने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.25 12:25:26 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
मोहर

ज्ञान नही था वादीयागण को भली प्रकार से गोपीराम के देहान्त होने के दिन से ही गोपीराम के देहान्त होने का ज्ञान था और अपने अधिवक्ता से सम्पर्क होने के उपरान्त भी गोपीराम के वारिसान को समय पर पक्षकार नही बनाये जाने के कारण वादीयागण का वाद अबैट हो चुका है

उपरोक्त विवेचन अनुसार वादीयागण को प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीयागण के परिवार का सदस्य है के देहान्त होने का ज्ञान होने के उपरान्त भी समय पर गोपीराम के विधिक वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया तथा गोपीराम के देहान्त होने के बाद वादीयागण ने न्यायालय में ब्यान करवाये गये किन्त गोपीराम के देहान्त होने का कथन न्यायालय के समक्ष उजागर नही किया गया वादीयागण ने प्रार्थना पत्र देरीना से पेश करने का कोई युक्ति युक्त सन्तोषजनक कारण भी व्यक्त नही किया गया मात्र अनपढ ग्रामीण महिला का कथन किया गया है तथा अपने प्रार्थना पत्र के संलग्न दफा 5 का प्रार्थना पत्र भी पेश नही किया गया है वादीयागण का भलीभाती गोपीराम के देहान्त होने का ज्ञान होने पर भी समय पर प्रार्थना पत्र पेश नही किया

वादीयागण /प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र समय पर समस्त वारिसान को पक्षकार नही बनाने के कारण स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज योग्य एवं प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है अर्थात वाद वादी अबैट किया जाना विधि सम्मत है

अतः प्रार्थीगण/वादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा वादी का वाद अबेट होने के कारण वाद वादीयागण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 24/5/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास सुनाया गया।

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.25 12:25:26 IST
Reason: SelfAttested